संख्या– 11/औ0वि0/07–उघोग/2004

प्रेषक,

श्री संजीव चोपडा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उघोग,
उघोग निदेशालय,
उत्तरांचल,देहरादून।

औघोगिक विकास विभाग देहरादून दिनांकः 27 जनवरी 2004

विषय : उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औघोगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औघोगिक नीति 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औघोगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों,थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत उर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सडकों, विमान पत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औघोगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उघोगों को बढावा देने की नीति के अर्न्तगत एवं प्रमुख औघोगिक घरानों द्वारा उघोगो की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औघोगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उघमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों सार्वजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों, आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औघोगिक विकास निगम लि0(सिडकुल) देहरादूल को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल ऐजेन्सी द्वारा उपरोंक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालको/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है जिसके आधार पर औघोगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये है:–

1. संस्था/व्यवसायी औघोगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड भूमि तथा पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम 30 एकड भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औघोगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।

2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू आथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि संबंधी जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

3. शासन द्वारा औघोगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं (Building Bye-laws) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औघोगिक क्षेत्रों में (Development Authority) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।

4. इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. औघोगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

6. ऐसे औघोगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की देखरेख, नालियों, सडकों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्थाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित संस्था/कम्पनी होगी।

7. कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जोयगें।

8. निजी क्षेत्र में औघोगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उघमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल/प्री–फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ संबंधित महा प्रबन्धक,जिला उघोग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें एवं महा प्रबन्धक जिला उघोग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उघोग एवं सिडकुल को प्रेषित करेगें।

भवदीय

(संजीव चोपडा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 11/1/औ0वि0/07–उघोग/2004, तद्दिनांकितः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औघोगिक विकास निगम लि0,देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाईट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

23/11/04

(संजीव चोपडा)
सचिव।